



राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान
National Institute of Design
मध्यप्रदेश Madhya Pradesh

(An Institute of National Importance under DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India)

क्रमांक-रा0डि0सं0म0प्र0/प्रशा/सूचना अनुभाग /1-70/2025/08

दिनांक 14.03.2026

प्रति,

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना बाबत।

प्रसंग:-आपका ऑनलाइन अनुरोध प्रार्थना पत्र क्रमांक एन.आइ.डी.एम पी./आर/ई/ 26/ 00001 दिनांक 17.02.2026 तथा राष्ट्रीय डिज़ायन संस्थान, मध्य प्रदेश को प्राप्ति दिनांक 17.02.2026 महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत व प्रासंगिक पत्र के क्रम में आपके द्वारा राष्ट्रीय डिज़ायन संस्थान मध्य प्रदेश से संबंधित सूचना के क्रम में अवगत कराया जाता है चयनित अभ्यर्थी के अंक संस्थान की अधिकारिक वेबसाइट पर अंतिम परिणाम में अंकित है तथा अन्य वांछित सूचना लोक हित से परे है तथा चाही गयी सूचना कार्मिको की निजी जानकारी से संबंधित है जिससे सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के नियम 1 (जे) तथा धारा 11 के तहत सूचना के प्रकट किये जाने में छूट प्रदान की गयी है। आपकी लिखित परीक्षा की कॉपी की प्रतिलिपी अनुलग्नक 01 में संलग्न है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पता क्रमशः श्री कृष्ण बिरमान, कुलसचिव, राष्ट्रीय डिज़ायन संस्थान मध्य प्रदेश ग्राम अचारपुरा, पोस्ट अरवलिया ईट खेड़ी जिला भोपाल, मध्यप्रदेश पिन 462038 है।



(आर के सैनी)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान मध्य प्रदेश

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer
राष्ट्रीय डिज़ायन संस्थान, मध्यप्रदेश
National Institute of Design, Madhya Pradesh



राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान
National Institute of Design
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh

(An Institute of National Importance under DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, Govt of India)

Answer Booklet No. [REDACTED]

PART-I

28 Page

(For Office Use Only)



B-1-40-27

41 (28)

42 (07)

43 (02)

44 (08)

45 (05)

46 (04)

57

Signature of Examiner

[Signature]

SHEELKUMAR



राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान
National Institute of Design
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh

(An Institute of National Importance under DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, Govt of India)

Answer Booklet No. [REDACTED]

PART-II

28 Page



Application No.

NIDMP/WCT/10005

Name of the Candidate

MAGGAN RAI

Father's/Mother's Name

LALLIRAM

Date of Birth

21-03-2001

Post Applied for

WARDEN/CARETAKER

Date of Examination

12-02-2026

No. of supplementary Copies

Marks obtained

Out of Total Marks

Signature of Invigilator

[Signature]

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रदत्त
Information given under RTI Act

सूचना अधिनियम के तहत प्रस्तुत

सूचना अधिनियम के तहत प्रस्तुत
Information given under RTI Act

उत्तर-1 (बी) द्वारा की गयी 'आवश्यकताओं' की 'दोषपूर्ण' करना।

प्रश्न क्र. 2 का उत्तर

①

उत्तर-2

(सी) संस्थान के मुख्य द्वार पर 'गाने बाने' प्रत्येक 'सांस्कृतिक' के प्रवेश को 'स्वी' करि 'देना'।

प्रश्न क्र. 3 का उत्तर

①

उत्तर-3

(बी)

प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर

①

उत्तर-4

(सी)

प्रश्न क्र. - 5 का उत्तर

①

उत्तर-5

(सी)

①

प्रश्न क्रमांक - 6 का उत्तर

①

(बी)

उत्तर -

प्रश्न क्रमांक - 7 का उत्तर

✓ ①

(डी)

उत्तर -

प्रश्न क्रमांक - 8 का उत्तर

✓ ①

(ए)

उत्तर -

प्रश्न क्रमांक - 9 का उत्तर

✓ ①

(ए)

उत्तर -

प्रश्न क्रमांक - 10 का उत्तर

①

(सी)

उत्तर -

उत्तर-

(C)

।

प्रश्न क्र. - 11 का उत्तर

✓ (D)

उत्तर-

(D)

।

प्रश्न क्र. - 12 का उत्तर

X

उत्तर-

(D)

।

प्रश्न क्र. - 13 का उत्तर

X

उत्तर-

(D)

।

प्रश्न क्र. - 14 का उत्तर

✓ (D)

उत्तर-

(B)

।

प्रश्न क्र. - 15 का उत्तर

X

सूचना अधिनियम के तहत प्रदात
Information given under RTI Act

प्रश्न क्रं. - 16 का उत्तर

उत्तर - (ए) !

✓ (1)

प्रश्न क्रं. - 17 का उत्तर

उत्तर - (क) !

✓ (1)

प्रश्न क्रं. - 18 का उत्तर

उत्तर - (घ) !

X

प्रश्न क्रं. - 19 का उत्तर

उत्तर - (सी) !

✓ (1)

प्रश्न क्रं. - 20 का उत्तर

उत्तर - (बी) !

X

प्रश्न क्र. - 21 का उत्तर

✓ ①

उत्तर-

बी

प्रश्न क्र. - 22 का उत्तर

✓ ①

उत्तर-

बी

प्रश्न क्र. - 23 का उत्तर

X

उत्तर-

बी

प्रश्न क्र. - 24 का उत्तर

X

उत्तर

(C)

प्रश्न क्र. - 25 का उत्तर

✓ ①

उत्तर

(बी)

प्रश्न क्रमांक - 26 का उत्तर

(D)

✓

प्रश्न क्रमांक - 27 का उत्तर

(D)

✓

प्रश्न क्रमांक - 28 का उत्तर

(D)

✓

प्रश्न क्रमांक - 29 का उत्तर

X

प्रश्न क्रमांक - 30 का उत्तर

(D)

प्रश्न क्रमांक - 32 का उत्तर

नाम रागिंग Policy । (1)

प्रश्न क्रमांक - 32 का उत्तर

उत्तर- वैश्विक उधीडन 10वें 2009 । (1)

प्रश्न क्रमांक - 33 का उत्तर

उत्तर- 102 युवा आनिशासक वंश । (1)

प्रश्न क्रमांक - 34 का उत्तर

उत्तर- युवा: प्रति वांछित है । (1)

प्रश्न क्रमांक - 35 का उत्तर

उत्तर- किसी भी पुरुष या महिला के साथ जबरदस्ती इन्तखार और शोषण (1)

प्रश्न क्रमांक - 36 का उत्तर

उत्तर - ओडिशा प्रदेश ।

X

प्रश्न क्रमांक - 37 का उत्तर

उत्तर - मैस हरिया में ।

①

प्रश्न क्रमांक - 38 का उत्तर

उत्तर - वृत्ति: प्रतिबंधित है ।

①

प्रश्न क्रमांक - 39 का उत्तर

उत्तर - (b) ।

①

प्रश्न क्रमांक - 40 का उत्तर

उत्तर - उपलब्ध है ।

X

प्रश्न क्रमांक = 41 का उत्तर

उत्तर - मुख्य छात्रावास में आवश्यक सामान्य की सूची इस प्रकार है।

- 1 इंद्र और लजिंद रजिस्टर है।
- 2 फिन्स और बोर ।
- 3 अभिनिर्णायक यंत्र ।
- 4 मैस लरिया ।
- 5 रूम साफ - सफाई के कीटाणु नाशक पदार्थ ।
- 6 वाटर कूलर (dispensers) RO के साथ ।
- 7 बैट और मैट्रेस ।
- 8 study table ।
- 9 कीटवैक बोक्स ।
- 10 शिक्षात्मक वीडियो ।

66

प्रश्न क्रमांक - 42 का उत्तर

उत्तर- वाटर के कार्य इस प्रकार हैं -

- 1 सभी छात्रों की लंद्री और लॉजिट की रजिस्टर लंद्री कराये।
- 2 मादक पदार्थों के सेवन और लंबे पर रोक लगाये।
- 3 आगंतुकों को प्रवेश रजिस्टर में विवरण अंकित करना और मिलने की समय सीमा पर ही मिलें।
- 4 कोई भी आगंतुक विद्यार्थी के कक्ष में रात्रि विज्ञापन न करें।
- 5 छात्रावास में शैगिंग न हो इस पर रोक लगाना।
- 6 यदि शैगिंग की जाती है और वार्डन की नहीं मानी जा रही तो मैनेजमेंट से शिकायत कर शैगिंग पर रोक लगाना।
- 7 समय-समय पर छात्रावास में सफाई की देख-रेख करना।
- 8 विद्यार्थी को आपस में झगडा करने से रोकना।
- 9 किसी भी तरह का दुर्विहार एवं गाली की प्रयोग न हो इस पर रोक लगाना।
- 10 पानी बिजली साफ-सफाई का ध्यान रखना।
- 11 CCTV कैमरे निगरानी के लिए रखे।

1. UGC के नियम का अर्थ है रखने हुए भौतिक और सीमित अधिकारों को उस छात्र की संतुष्टि जानकारी साक्षात् की जायेगी।
2. वंचित एवं शैक्षणिक की गई हैं इस पर परीक्षा से शिकामत की दृष्टि दृष्टिकोण की जायेगी।
3. इसकी पूर्ण रूप से साध में कृत्य सच में हुआ करके । छात्र के स्वार्थ के अभाव के छात्रों से
4. उन्नीस नव और UGC के द्वारा शैक्षणिक के लिए IPC की जो कार्यवाही है उस पर अमल करने की इस बात की सूचना देना।
5. जिसके साथ शैक्षणिक दृष्टि है उसके साथ व्यापक व्यवहार कर उसका हीसला उपचार करना।

(B)

प्रश्न क्रमांक - ५५ का उत्तर

- 1 प्राथमिक उपचार फिन्स माव की कार्यवाही की जाये।
इयूरी पर लौ डॉक्टर को है उसे तुरंत
- 2 कौन करके सारी जानकारी से अवगत कराये
जाये उनके लिए गए परामर्श के अनुसार कार्य
किया जाये।
- 3 पास के अस्पताल में फोन कर लंबुलैस की
व्यवस्था की जाये।
- 4 छात्रावास के छात्रों की मदद से अस्पताल
पहुँचाया जाये।
- 5 मैनेजमेंट को पूरी जानकारी से अवगत कराया
जाये।
- 6 तुरंत लंबुलैस हेल्प लाइन नंबर 108 पर फोन
कर बुलाया जाये।
- 7 यदि सांस संबंधी या हृदय संबंधी दिक्कत है तो
सी पी आर प्राथमिक उपचार है सकते हैं
अस्पताल में जब तक उसके घर
- 8 वाली को न बुला लिया जाये अकेले न
छोड़े।
- 9 अस्पताल में भर्ती कराते ही यदि स्थिति गंभीर
है तो तत्काल माता - पिता का सूचना है।

दिनांक -

प्रिय छात्र

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन

अचारधरा भोपाल (म.प्र.)

विषय - आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, आपको चैतावनी देना।

प्रिय छात्र,

आपके द्वारा कुछ दिनों से बार-बार देना जा रहा कि आप कई बार गेट बंद होने के बाद विलंब से आ रहे हैं / संस्थान की सुरक्षा की स्थिति में मुझे आपकी सुरक्षा की निगरानी हो रही कि कोई गलत घटना आपके साथ न घटे। इसके लिए मैं आपको चैतावनी दे रही हूँ और फिर भी आपके द्वारा इस बात का इंतज़ान हुआ तो मैं मेरे सीनियर मैनेजमेंट को इस संबंध में स्थिति की जानकारी देना और वे इस पर उचित कार्यवाही करेंगे / मुझे आशा है कि आप इस चैतावनी को अंतिम चैतावनी और मेरा कहना मानेंगे।

04

सूचना आयोग अधिनियम के तहत प्रदात
Information given under RTI Act

Q.